प्रेषक

निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला

सेवा में

राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी

यादी कमांक 1/88–2016–ई0गर्वनैंस

दिनांकः 24.6.2016

विषयः पांच साल से कम ठहराव वाले अध्यापकों द्वारा स्थानान्तरण के लिये विकल्प देने बारे ।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

नई स्थानान्तरण नीति अनुसार अध्यापकों के स्थानान्तरण करने का मामला विभाग/सरकार के विचाराधीन है । इसके लिये विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो अध्यापक पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं करते हैं और अपना स्थानान्तरण अन्य स्थान पर करवाना चाहते हैं वे 'हां' (yes) के विकल्प के जरिये ऑनलाई अपनी इच्छा जरूर व्यक्त करें ।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि अपने अधीन सभी अध्यापकों (जेबीटी से प्राधानाध्यापक तक) के संज्ञान में यह ला दें कि जिन अध्यापकों का कार्यकाल एक क्षेत्र या विद्यालय में अभी पांच वर्ष का नहीं हुआ है और वह स्थानान्तरण का विकल्प लेना चाहते हैं तो वह एमआईएस पार्टल पर अपने आईडी में लॉग इन करके 'हां' का विकल्प दे दें । पांच वर्ष का ठहराव पूरा नहीं करने वाले अध्यापक जो 'हां' का विकल्प देंगे सिर्फ उन्हें ही स्थानान्तरण के लिये विचारा जायेगा । 'हां' का विकल्प न देने वाले ऐसे अध्यापकों को स्थानान्तरण के लिये विचारा नहीं जायेगा ।

आपसे अनुरोध है कि आप सभी अध्यापकों को यह भी बता दें कि यह विकल्प दिनांक 24.6.2016 से 28.6.2016 तक ही खुला रहेगा तथा विकल्प देने के लिये अध्यापक का सेवा प्रोफाईल पूर्ण होना आवश्यक है । तदुपरान्त जिला, क्षेत्र व विद्यालय चुनने के लिये अलग से शैडयूल जारी किया जायेगा जिसमें एक क्षेत्र या एक विद्यालय में पांच वर्ष पूर्ण करने वाले अध्यापक, नव पदोन्नत अध्यापक व स्थानान्तरण के लिये 'हां' का विकल्प चुनने वाले अध्यापक व पदो के पुर्नविभाजन के कारण सरप्लस हुए अध्यापक क्षेत्र (zones) व विद्यालयों की वरीयता अनुसार विकल्प चुन सकेंगे ।

आपको यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि यह सुनिश्चित करें कि सभी मुखिया उनके अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों द्वारा प्रोफाईल में बदलाव हेतु किये गये निवेदन को भी स्वीकार या अस्वीकार करें तथा यह

सुनिश्चित करें कि किसी भी अधीनस्थ कर्मचारी का प्रोफाईल में बदलाव का निवेदन (Profile correction request) या 'sent profile for approval' request unattended न रहे । निर्देशों की उल्लंघना की स्थिति में संबंधित मुखिया पर अनुशसनत्मक कार्यवाही अवश्य होगी ।

स्थानान्तरण के लिये 'हां' का विकल्प देने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश इस पत्र के साथ संलग्न हैं ।

(विरेन्द्र सिंह, HCS)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन–II
कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकुला

पृष्ठांकन कमांक –सम– दिनांक:

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :–

1. निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला ।
2. निदेशक एससीईआरटी, हरियाणा, गुड़गांव ।

(विरेन्द्र सिंह, HCS)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन–II
कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकुला

पृष्ठांकन कमांक –सम– दिनांक:

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :–

1. वरिष्ठ सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव विद्यालय शिक्षा, हरियाणा ।
2. पी0ए0/निदेशक माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला ।
3. पी0ए0/निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला
4. पी0ए0/अतिरिक्त निदेशक प्रशासन–I,II,III
5. पी0ए0/अतिरिक्त निदेशक प्रशासन मौलिक/पी0ए0संयुक्त निदेशक प्रशासन मौलिक

(विरेन्द्र सिंह, HCS)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन–II
कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकुला

Steps to fill choice of 'Yes" for Voluntary Transfer

स्वेच्छा से स्थानान्तरण के लिये 'हां' का विकल्प देने हेतु दिशा निर्देश

1- Login to your Account by visiting hryedumis.gov.in
   hryedumis.gov.in पेज पर जाकर अपने अकाउंट में लॉग इन करें
2- "Click' on "Transfer Preference" menu
   "Transfer Preference" menu पर क्लिक करें
3- "Click" on "Fill Transfer Preferences"
   "Fill Transfer Preferences" menu पर क्लिक करें
4- The following message will appear
   आपको निम्न मैसेज दिखई देगा

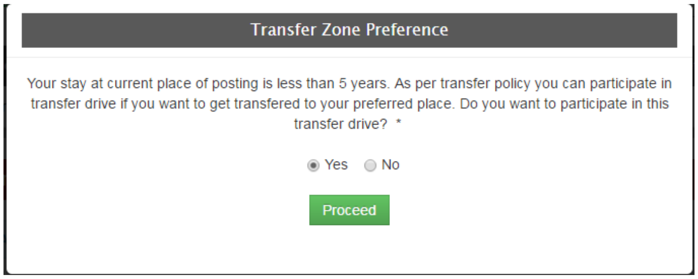

5. Check on "Yes" button.

   "Yes" बटन पर क्लिक करें

The following message will appear:

आपको निम्न मैसेज दिखई देगा

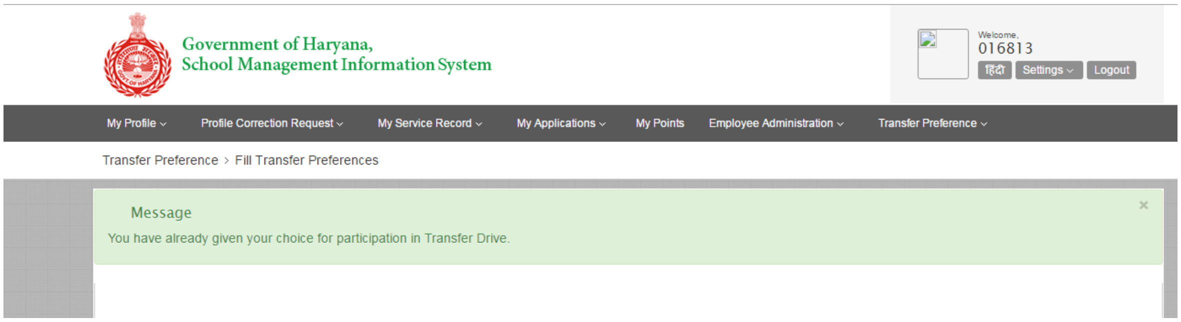

Your option is submitted.

आपका विकल्प दर्ज हो गया है

Log out from your account.

अपने अकाउंट से लाग आउट करें